प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक - 1478 / 2022

ए

... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना करतला, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

.....उत्तरदाता

अपीलार्थी की ओर से: श्री विकास कुमार पांडे, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ राज्य की ओर से: श्री भरत गुलाबानी, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

निर्णय पीठ से पारित

18/03/2025

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, सी.आर.पी.सी) की धारा 374(2) के तहत प्रस्तुत इस अपील में विद्वान विशेष किशोर न्यायालय (एफ.टी.सी) कोरबा, जिला कोरबा द्वारा सत्र प्रकरण प्रकरण-1/2021 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश दिनांक 17.08.2022 को चुनौती दिया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, आई.पी.सी) की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 10 वर्ष का साधारण कारावास और 100/- रुपये के जुर्माने का दंडादेश दिया गया है और जुर्माने के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा

2. प्रकरण आज, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दंडादेश के निलंबन और अपीलार्थी को जमानत देने हेतु प्रस्तुत आवेदन आई ए क्रमांक-1 पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, हालांकि, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण की सहमति से, मामले की सुनवाई अंतिम रूप से की जाती है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 11.06.2019 को, रात 8:00 बजे भोजन करने के बाद, शिकायतकर्ता मेला राम कंवर (अ.सा-1) अपनी पत्नी सुक्रिता बाई (अ.सा-2) और बेटियों रानू कंवर (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) और अनसुइया कंवर के साथ अपने घर

के आंगन में सो रहा था। रात्रि लगभग 10:00 बजे अपीलार्थी/ विधि से संघर्षरत बालक (जिसे आगे अपीलार्थी कहा जाएगा) जो मेला राम कंवर (अ.सा-1) का पुत्र है, गांव में घूमकर घर लौटा और मृतिका जो अपीलार्थी की बहन है, को जगाया और उसे खाना देने को कहा। मृतिका ने गुस्से में अपीलार्थी को डांटा और उसे खाना दिया। खाना खाने के बाद मृतिका ने अपीलार्थी को डांटा और दो थप्पड़ मारा। इस पर अपीलार्थी इतना क्रोधित हो गया कि उसने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर मृतिका के सिर पर दो वार कर दिए जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस समय तक शिकायतकर्ता जाग चुका था। शिकायतकर्ता ने उक्त घटना की जानकारी अपनी पत्नी और अन्य पड़ोसियों को दी। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और आवागमन हेतु कोई साधन नहीं था, इसलिए दिनांक 12.06.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू किया गया।

4. विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा तैयार किया गया, मर्ग कायम कर शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया, घटना से संबंधित गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा अपराध कारित होना पाए जाने पर दिनांक 12.06.2019 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देकर उचित अभिरक्षा हेतु बाल संरक्षण गृह भेजा गया। अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया गया। घटना स्थल से अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं मृतिका द्वारा पहने गए कपड़े, खून से सने कपड़े एवं सादी मिट्टी भी जप्त कर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर भेजा गया। उक्त जप्त संपत्ति के संबंध में निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जांच प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया। सम्पूर्ण जांच के पश्चात् अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 75/19 किशोर न्याय बोर्ड कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जघन्य प्रकृति का अपराध होने के कारण उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु विशेष किशोर न्यायालय कोरबा के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. जब अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, उसने आरोपों से इन्कार और विचारण चाहा।

6. अपराध को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों का परीक्षण किया है, जिनमें मेलाराम कंवर (अ.सा-1), श्रीमती सुकृता बाई (अ.सा-2), कमल सिंह राठिया (अ.सा-6), दयाराम (अ.सा-4), अंतराम (अ.सा-5), संतोष कुमार सोनवानी, सहायक अध्यापक, (अ.सा-3), दयाराम कंवर (अ.सा-4), अंतराम (अ.सा-5), कमल सिंह राठिया (अ.सा-6), बरखा मेश्राम (अ.सा-7), डॉ. शेखर लाल कंवर (अ.सा-8), गजानंद यादव (अ.सा-9) और सुनील कुमार कुर्रे (अ.सा10) शामिल थे और 27 दस्तावेजों को प्रदर्शांकित करवाया है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी का बयान दर्ज़ किया गया, जिसमें उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी से जब पूछा गया कि क्या वह अपने बचाव में कोई साक्ष्य देना चाहता है, तो उसने कहा कि वह अपने बचाव में साक्ष्य देगा, यद्यपि अपीलार्थी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अपीलार्थी को दोषी करार दिया है, जैसा कि शुरुआती पैराग्राफ में बताया गया है। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे ने तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है। उक्त निर्णय विधिक रूप से दुर्बल और अनुचित है। गवाहों के बयान में लोप और विरोधाभास है। भले ही घटना का यथावत आंकलन किया जाये, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन अधिक से अधिक यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आएगा क्योंकि अपीलार्थी ने चोट कारित करने के लिए कुल्हाड़ी के नुकीले हिस्से का नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के मूठ की तरफ का उपयोग किया था । यदि अपीलार्थी का मृतिका की हत्या करने का कोई आशय होता तो वह कुल्हाड़ी की धारदार भाग का इस्तेमाल हमला करने के लिए कर सकता था। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की उम्र को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नरम रुख अपनाया जाना चाहिए था और दिया गया दंडादेश भी कम किये जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत गुलाबानी ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का उचित रूप से विवेचन करने के बाद दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश पारित किया है, जो हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार से जघन्य अपराध किया है, इसलिए यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

11. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानी से परिशीलन किया है। मृतिका

12. यह तथ्य कि मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं है। डॉ. शेखर लाल कंवर (अ. सा-8) चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि शरीर में अकड़न मौजूद था। दोनों नथुनों के बाएं गाल पर थक्केदार खून मौजूद था। बाएं कान के पीछे बाएं पेराइटल भाग से रक्त निकल रहा था (4.5 x 2 सेमी.) और बाएं पेराइटल हड्डी पर गहरी फ्रैक्चर, खोपड़ी के नीचे दाएं फ्रंटों पेराइटल भाग पर चोट के साथ थक्कायुक्त रक्त मौजूद था (8x4.5 सेमी.)। हड्डी अविकल थी और मस्तिष्क में थक्कायुक्त रक्त मौजूद था। उन्होंने मृत्यु का कारण सिर की चोट के कारण रक्तस्राव और सदमा बताया था जो हत्यात्मक प्रकृति का लग रहा था और मृत्यु शव परीक्षण के 12-16 घंटे के भीतर हुआ था ।

13. शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) के अनुसार मृतिका को लगी चोटें इस प्रकार हैं:

> “शरीर पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, मुंह आधा खुला था, लाल और सफेद रंग की फ्रॉक और लाल रंग की लेडीज स्लिप और गुलाबी रंग का अंडरवियर पहनी हुई थी। शरीर पर अकड़न मौजूद थी। बाएं गाल और दोनों नथुनों पर थक्केदार खून मौजूद था। बाएं कान के पीछे बाएं पेराइटल हड्डी भाग से खून आ रहा था (4.5 x2 सेमी) और और बाएं पेराइटल हड्डी पर गहरी

फ्रैक्चर, खोपड़ी के नीचे दाएं फ्रंटों पेराइटल भाग पर चोट के साथ थक्कायुक्त रक्त मौजूद था (8x4.5 सेमी.)। हड्डी अविकल थी और मस्तिष्क में थक्कायुक्त रक्त मौजूद था। मृत्यु का कारण सिर की चोट के कारण रक्तस्राव और सदमा बताया था जो हत्यात्मक प्रकृति का लग रहा था और मृत्यु शव परीक्षण के 12-16 घंटे के भीतर हुआ था" ।

14. उक्त गवाह (अ.सा-8) ने जब्त कुल्हाड़ी के संबंध में पुलिस द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दिया है और मत दिया है कि मृतिका को लगी चोट कुल्हाड़ी से आ सकती है। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्यात्मक निष्कर्ष है, यह न तो अनुचित है और न ही अभिलेख के विपरीत है और यह न्यायालय उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी।

15. अब अगला प्रश्न यह है कि क्या अपराध अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया है ?

16. शिकायतकर्ता मेलाराम कंवर (अ.सा-1) मृतिका और अपीलार्थी दोनों का पिता है। वह एक अनपढ़ व्यक्ति है और इस तथ्य के अलावा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन उसके द्वारा दर्ज कराया गया था, उसने घटना को देखने से इनकार किया है। उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि अपीलार्थी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सुकृता बाई (अ.सा-2) अपीलार्थी और मृतिका की मां है। वह भी पक्षद्रोही हो गई है और घटना को देखने से इनकार किया है। अंतराम कंवर (अ.सा-5) अपीलार्थी और मृतिका के पिता का बड़ा भाई है। वह भी पक्षद्रोही हो गये है और मृतिका की मृत्यु के कारण के संबंध में जानकारी से इंकार किया है। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि उसके भाई मेलाराम (अ.सा-1) ने उसे बताया था कि उसके बेटे अर्थात अपीलार्थी ने उसकी बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया है। दयाराम कंवर (अ.सा-4) ने बताया है कि वह मृतिका और अपीलार्थी दोनों को जानता था और घटना की तारीख को रात करीब 11 बजे अंतराम कंवर (अ.सा-5) ने आकर उसे बताया कि मृतिका की मृत्यु हो गई है। यह बताया गया कि अपीलार्थी ने मृतिका की हत्या कारित किया है। पुलिस ने उन्हें मृत्यु समीक्षा कार्यवाही के लिए नोटिस दिया था। वे मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/89), जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/9 और पी/10) के गवाह भी हैं। कमल सिंह राठिया (अ.सा-6) मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/8) और जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/9 और पी/10) के गवाह हैं। बरखा मेश्राम (अ.सा-7) पटवारी हैं जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी/13) तैयार किया था।

17. अपीलार्थी और मृतिका के पिता द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज़ कराया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने मृतिका के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, हालांकि वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान से पलट गया और पक्षद्रोही हो गया । यह स्पष्ट है कि मृतिका के माता-पिता अपने बेटे अर्थात अपीलार्थी के खिलाफ गवाही नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी खो दिया है और हमलावर उनका अपना बेटा है जो दोषी पाए जाने पर सलाखों के पीछे होगा। शव उनके अपने घर में पाया गया था और न तो अपीलार्थी और न ही उसके माता-पिता यह बता सके कि मृतिका को चोटें कैसे आईं, इसलिए विद्वान विचारण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय ने इस तथ्य के संबंध में निष्कर्ष निकालने में कोई त्रुटि करित नहीं किया है है कि अपीलार्थी ने अपराध कारित किया है।

18. अब अगला प्रश्न जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराना और उसे 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाना न्यायोचित था?

19. अपीलार्थी के पिता मेलाराम कंवर (अ.सा-1) और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाह जो अपीलार्थी और मृतिका के भी रिश्तेदार हैं, यद्यपि पक्षद्रोही हो गये है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन बयान को पढ़ने से जो निष्कर्ष निकलता है, खासकर मेलाराम कंवर (अ.सा-1) का बयान यह है कि उसका बेटा अर्थात अपीलार्थी अपने होश में नहीं था और एक समय पर, उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से मृतिका पर हमला किया था, लेकिन कुल्हाड़ी के 'धार वाले' भाग से नहीं। साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि अपीलार्थी रात में कहीं भी चला जाता था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अपीलार्थी की निशानदेही पर जिस हथियार से हमला किया गया था उसे भी बरामद किया गया है और मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/8) में उसने बताया है कि उसने मृतिका पर किस तरह से हमला किया। मृतिका और अपीलार्थी बहन-भाई हैं और अपीलार्थी का अपनी बहन की हत्या करने का कोई आशय नहीं हो सकता और वह भी केवल डांटने पर। मृतिका नाराज थी क्योंकि अपीलार्थी अक्सर रात को देर से घर आता था और खाना माँगने के लिये उसे जगाता था। इससे नाराज होकर मृतिका ने अपीलार्थी को डांटा और थप्पड़ मारा जिससे अपीलार्थी क्रोधित हो गया और उसने कुल्हाड़ी के मूठ की तरफ से मृतिका पर हमला कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपरोक्त निष्कर्ष हमें अगले विचारणीय प्रश्न पर ले जाता है कि क्या अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है अर्थात हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध और उसके दंडादेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I या भाग-II में बदला जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है?

21. **सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी किया है:-

> "21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,हमारा मत है कि समान उद्देश्य के अभाव में सुखबीर सिंह ने बिना किसी पूर्व विचार के, आवेश में अचानक झगड़े के बाद हुई लड़ाई में हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध किया है और उसने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है और उसका मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग 1) के अंतर्गत दंडनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध का दोषी ठहराए जाने के निर्णय को अपास्त किया जाता है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग 1) के अंतर्गत हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के

1 (2002) 3 SCC 327

अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये के जुर्माने का दंडादेश दिया गया, व्यतिक्रम की दशा में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।"

22. **गुरमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य हरियाणा**[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कारक निर्धारित किए हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या धारा 304 भाग II के संदर्भ में अभियुक्त को उचित सजा देने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:-

"23. ये कुछ कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को उचित सजा देने से पहले ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ये कारक केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। प्रत्येक मामले को उसके विशेष परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। सुसंगत कारक इस प्रकार हैं:

(ए) आशय या पूर्व शत्रुता ;

(बी) क्या घटना क्षणिक आवेश में हुई थी;

(सी) हमला या चोट पहुँचाते समय अभियुक्त का आशय/ज्ञान;

(डी) क्या मृत्यु तत्काल हुई या पीड़ित की मृत्यु कई दिनों के बाद हुई;

(ई) चोट की गंभीरता, आयाम और प्रकृति;

(एफ) आरोपी की आयु और सामान्य स्वास्थ्य स्थिति;

(जी) क्या चोट अचानक लड़ाई में बिना पूर्वचिंतन के लगी थी;

(एच) चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और आकार और जिस बल से वार किया गया था;

(आई) आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रतिकूल इतिहास;

(जे) क्या दी गई चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन मौत सदमे के कारण हुई थी;

(के) आरोपी के खिलाफ लंबित अन्य आपराधिक मामलों की संख्या;

(एल) घटना परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों के बीच हुई;

(एम) घटना के बाद आरोपी का आचरण और व्यवहार।
क्या अभियुक्त घायल/मृतक को तुरन्त अस्पताल ले गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे उचित चिकित्सा उपचार मिले? ये कुछ ऐसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 (2009) 15 SCC 635

कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को उचित सजा देते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

24. ऊपर बताई गई परिस्थितियों की सूची केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। हमारे विचार से, अभियुक्त को उचित सजा देना न्यायालय का बाध्य दायित्व और कर्तव्य है। न्यायालय का प्रयास यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि अभियुक्त को उचित सजा मिले, दूसरे शब्दों में, सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार होनी चाहिए। ये कुछ सुसंगत कारक हैं जिन्हें अभियुक्त को दोषी ठहराते और सजा सुनाते समय ध्यान में रखना आवश्यक है।"

23. इसी तरह, **राज्य बनाम संजीव नंदा**[3] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने माना है कि एक बार यह ज्ञान स्थापित हो जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु का कारण बनने के किसी भी आशय के बिना, तो जेल की सजा 10 साल तक की अवधि या जुर्माना या दोनों हो सकती है। यह भी माना गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ऐसी मृत्यु अभियुक्त के कृत्य के कारण हुई है और वह जानता था कि उसके ऐसे कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसके अलावा, **अर्जुन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और पैराग्राफ 20 और 21 में टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है:-

"20. इस अपवाद 4 को लागू करने के लिए, जो आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं, उन्हें इस न्यायालय ने सुरिंदर कुमार बनाम संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ [(1989) 2 एस.सी.सी 217: 1989 एस.सी.सी (क्रि.) 348] में निर्धारित किया है, इसे इस प्रकार समझाया गया है: (एस.सी.सी पृष्ठ 220, पैरा 7)

"7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, अर्थात्, (I) यह अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्वचिंतन नहीं था; (iii) यह कृत्य आवेश में आकर किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था। झगड़े का कारण सुसंगत नहीं है और न ही यह सुसंगत है कि किसने उकसावा दिया या हमला शुरू किया। घटना के दौरान कारित चोटों की संख्या निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना अचानक और बिना सोचे-समझे हुई होगी और अपराधी ने क्रोध में आकर काम किया होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। जहां,

3 (2012) 8 SCC 450
4 (2017) 3 SCC 247

> अचानक झगड़े के दौरान, कोई व्यक्ति क्षणिक आवेश में कोई हथियार उठाता है और चोट पहुंचाता है, जिसमें से एक घातक साबित होता है, वह इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम न किया हो।

21. इसके अलावा अरुमुगम बनाम राज्य [(2008) 15 एस.सी.सी 590: (2009) 3 एस.सी.सी (क्रि.) 1130] में, विधि के प्रतिपादनाओं के समर्थन में कि किन परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू किया जा सकता है, इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है: (एस.सी.सी पृष्ठ 596, पैरा 9)

> "9. .... '18. अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना पूर्व चिंतन हुई हो; (बी) अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किए बिना; और (डी) लड़ाई में मारे गए व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अपवाद 4 के तहत मामला लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी तत्व पाए जाने चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली **"लड़ाई"** को दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। आवेश की तीव्रता के लिए यह आवश्यक है कि भावनाओं को शांत होने का समय न मिले और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को उग्र बना लिया था। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, चाहे हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा, इस बारे में कोई सामान्य नियम बनाना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के आवेदन के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधानों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति **"अनुचित लाभ"** का अर्थ है **"अऋजु लाभ"**।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **अर्जुन** (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि आशय और ज्ञान है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I का मामला होगा और यदि यह केवल ज्ञान का मामला है और हत्या और शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II का मामला होगा।

26. इसके अलावा, **रामबीर बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)**[5] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चार तत्व निर्धारित किए हैं, जिनका परीक्षण किसी मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे में लाने के लिए किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है:

---

5 (2019) 6 SCC 122

"16. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि निम्नलिखित चार तत्व आवश्यक हैं:

(i) लड़ाई अचानक होनी चाहिए;

(ii) कोई पूर्व-चिंतन नहीं था ;

(iii) कार्य आवेश में किया गया था; और

(iv) अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया था।"

27. चूंकि अपीलार्थी अपराध की तिथि पर किशोर था, इसलिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, 2015 का अधिनियम) के सुसंगत प्रावधानों पर ध्यान देना लाभकारी होगा। सुसंगत प्रावधान इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

xxx xxx xxx

(12) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नही है;

xxx xxx xxx

(13) "विधि का उल्लंघन करने वाला बालक" से ऐसा बालक अभिग्रेत है, जिसके बारे मे यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नही की है;

xxx xxx xxx

(35) "किशोर" से अठारह वर्ष से कम आयु का बालक अभिश्रेत है;

xxx xxx xxx

28. इसके अलावा, 2015 के अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति के संबंध में सुसंगत परिभाषा इस प्रकार है:

(33) "जघन्य अपराध" के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते है, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है;

xxx xxx xxx

(45) "छोटे अपराधों" के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (860 का 45) या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन मास तक के कारावास का है;

xxx xxx xxx

(54) "घोर अपराध" के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन,-

(क) तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है

(ख) सात वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है किंतु कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है

xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. जहां अपराध के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है और निर्धारित अधिकतम सजा सात साल से अधिक है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पा मित्तल बनाम एन.सी.टी दिल्ली राज्य और अन्य** {दांडिक अपील क्रमांक- 34/2020, दिनांक 09.01.2020 को निर्णीत} में निम्नानुसार अवलोकित किया गया है:

"36. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हम निर्णय के पहले भाग में निर्धारित प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देकर अपील का निपटारा करते हैं और मानते हैं कि ऐसा अपराध जो 7 साल की न्यूनतम सजा प्रदान नहीं करता है उसे जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, हमने जो ऊपर माना है, उसके दृष्टिगत अधिनियम अपराधों की चौथी श्रेणी से निराकृत नहीं होता है। ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सजा या न्यूनतम सजा 7 वर्ष से कम का प्रावधान है, उन्हें अधिनियम के अर्थ में 'गंभीर अपराध' माना जाएगा और संसद द्वारा मामले पर निर्णय लिए जाने तक तदनुसार निपटा जाएगा।"

30. 2015 के अधिनियम की धारा 14 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच से संबंधित है। उक्त धारा इस प्रकार है:

14. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच-

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित करने वाला अभिकथित बालक, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन कोई जांच, बोर्ड के समझ बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित मे कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी।

(3) बोर्ड द्वारा, धारा 5 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के लिए उपधारा (2) के अधीन जांच, विस्तारित अवधि के पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी :

परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड, जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुखय महानगर मजिस्ट्रेट लिखित मे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) बोर्ड, ऋजु और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(क) जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वागेः जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है, कोई दुर्व्यवहार न किया गया हो और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा :

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में, कार्यवाहियां यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को, जिसके विरूद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई है, कार्यवाहियों के दौरान बाल हितैषी वातावरण उपलब्ध करवाया जाए :

ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाएगा ;

(घ) छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, ।973 (974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा ;

(ड) बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया , 973 (974 का 2) के अधीन समन मामलों का विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा ;

(च) जघन्य अपराधों की जाँच -

(i) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच बोर्ड द्वारा खंड (ङ)) के अधीन निपटाई जाएगी ;

(ii) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में धारा 15 के अधीन विहित रीति से की जाएगी।

31. 2015 के अधिनियम की धारा 15 बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण से संबंधित है। यह इस प्रकार है:

15. बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण--(1) किसी जघन्य अपराध की दशा में, जो अभिकथित रूप से किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया है, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो सोलह वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और वे परिस्थितियां, जिनमें अभिकथित रूप से उसने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 8 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक निर्धारण कोई विचारण नहीं है बल्कि उस बालक के अभिकथित अपराध के किए जाने और उसके परिणामों को समझने के सामर्थ्य को निर्धारित करना है।

(2) जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड, यथाशक्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 4973 (974 का 2) के अधीन समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा :

परंतु बोर्ड का मामले का निपटारा करने का आदेश धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन अपीलनीय होगा :
परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण, धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

32. 2015 के अधिनियम की धारा 18 विधि का उल्लंघन करते पाये गये बालक के बारे में निर्देश से संबंधित है। यह इस प्रकार है:

“18. विधि का था उल्लंघन करते पाये गये बालक के बारे में निर्देश-

xxx xxx xxx

(3) जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा ।

33. 2015 के अधिनियम की धारा 19 बालक न्यायालय की शक्तियां के संबंध में है। 2015 के अधिनियम की धारा 19(1) इस प्रकार है:

“19. बालक न्यायालय की शक्तियां--(1) धारा 15 के अधीन बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के पश्चात् बालक न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि :-

(i) बालक का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के (1974 का 2) उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है और वह विचारण के पश्चात् इस धारा और धारा 2] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बालक की विशेष आवश्यकताओं, ऋजु विचारण के सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा बालक हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकेगा ;

(ii) वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है तथा धारा 18 के उपबंधों के अनुसार समुचित आदेश पारित कर सकेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. 2015 के अधिनियम की धारा 21 उस आदेश के संबंध में है जो कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है। यह इस प्रकार है:

“21. आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरूद्ध पारित न किया जा सकेगा- विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा।"

उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन मात्र से यह पता चलता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के प्रावधानों के तहत या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि के तहत, किसी भी ऐसे अपराध के लिए मृत्युदंड या अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है।

35. उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्ट पठन से पता चलता है कि जिस बच्चे पर कोई अपराध करने का आरोप है या पाया गया है और जिसने अपराध की तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है और किशोर न्याय बोर्ड, जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि 16-18 वर्ष की आयु के बच्चे पर, जिस पर जघन्य अपराध करने का आरोप है, वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। यह निर्णय कथित अपराध के समय बच्चे की मानसिकता के 'प्रारंभिक निर्धारण' पर आधारित है। यदि बोर्ड यह निर्णय लेता है कि बच्चे पर किशोर के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो अपराध की गंभीरता या बच्चे की आयु की परवाह किए बिना अधिकतम सजा तीन वर्ष तक सीमित है। वैकल्पिक रूप से, यदि बोर्ड यह निर्णय लेता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वह मामले की सुनवाई को बाल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, जो वर्तमान मामले में सही ढंग से किया गया है। इसके बाद, यदि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक निर्धारण होने के बाद, बाल न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 19(1) के तहत निर्णय लेता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है और उक्त बच्चे पर मुकदमा चलाकर उसे दोषी ठहराया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। इसका मतलब है कि वयस्क अपराधियों के लिए दिए जाने वाले दंड के समान अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड दिया जा सकता है। इसका महत्वपूर्ण अपवाद अधिनियम 2015 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्युदंड और आजीवन कारावास है। अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बिना मृत्युदंड और आजीवन कारावास लगाने पर रोक है, लेकिन अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के साथ भी ऐसा ही लगाया जा सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. विद्वान विचारण न्यायालय ने सबसे पहले अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराकर और दूसरा, उसे 10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाकर विधि की त्रुटि कारित किया है। अगर किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ मृत्यु दंडादेश दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कोई अन्य सजा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, उक्त सजा केवल अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के साथ ही दी जा सकती थी, अन्यथा नहीं, जैसा कि 2015 के अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रावधान किया गया है।

37. उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, मृतिका की मृत्यु कारित करने का अपीलार्थी का न तो कोई आशय था और न ही कोई पूर्वचिंतन था और अपीलार्थी इस कारण से क्रोधित था कि मृतिका जो उसकी बहन है, ने उसे देर रात घर आने के लिए डांटा और थप्पड़ मारा था और उस क्रोध और आवेश में आकर, अपीलार्थी ने अपनी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और केवल दो वार किए और वह भी कुल्हाड़ी की तेज धार से नहीं बल्कि 'मूठ की तरफ से'। जैसे ही मृतिका जमीन पर गिरी, अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से कोई और वार नहीं किया। अपीलार्थी का मृतिका की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था, लेकिन ऐसी चोटें पहुँचाने से उसे यह ज्ञान अवश्य रहा होगा कि उसके द्वारा

पहुँचाई गई ऐसी चोटों से मृतिका की मृत्यु होने की संभावना है, इस प्रकार, उसका मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे में आएगा, क्योंकि यहाँ अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के चार आवश्यक तत्वों को पूर्णतः संतुष्ट करता है, अर्थात् (i) झगड़ा अचानक हुआ था ; (ii) कोई पूर्वचिंतन नहीं था; (iii) कृत्य आवेश में किया गया था और (iv) अपीलार्थी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था।

38. उपरोक्त तथ्यों, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य, मृतिका को लगी चोटों की प्रकृति और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी दिनाँक 12.06.2019 से जेल में है, ऐसी स्थिति में यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दिये गये दंडादेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II में बदल दिया जाता है, तो यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

39. तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है, तथापि, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के तहत दोषी ठहराया जाता है तथा छह वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश दिया जाता है।

40. अपीलार्थी के बारे में बताया गया है कि वह जेल में है। उसे इस न्यायालय द्वारा दिया गया संशोधित दंडादेश भुगतना होगा।

41. दांडिक अपील को आंशिक रूप से ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

42. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को, जहां अपीलार्थी अपनी जेल की सजा काट रहा है, भेजे ताकि अपीलार्थी को यह सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

43. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना और कार्यवाही हेतु, यदि कोई हो, तत्काल प्रेषित किया जावे।

सही /-

(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों

हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur